ACTIVE R.E.M.E.D.Y LTD

भारत की पवित्र नदियों की सुरक्षा : मां गंगा एवं मां यमुना

20 मार्च 2017 को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत भारत की महत्वपूर्ण और लोगों के हृदय में अपार श्रद्धा का केंद्र रही गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्तियों की तरह ही अधिकार प्राप्त हुए। इस कानून के तहत गंगा और यमुना किसी व्यक्ति की तरह ही अपनी मर्जी से बहने का अधिकार रखती है और कोई भी मनुष्य उसे क्षति पंहुचाने पर और उसकी मर्जी के बगैर उसे गंदा पर दंड का भागीदार होगा। नदियां किसी मनुष्य की भांति ही स्वेच्छा और मदमस्त होकर बह सकती है।

अनादि काल से ही यह नदियां अपार श्रद्धा का केंद्र रही है और लोगों द्वारा इन्हें पूजा जाता रहा है। पुराने समय में देवी का दर्जा प्राप्त कर और लोगों द्वारा भावनात्मक रूप से इनसे जुड़े रहने पर यह नदियां निर्मल और पवित्र थी। अपने अंदर करोड़ों नई प्रजातियां का संचार करती यह नदियां आज अनादितकाल की तरही ही श्रद्धा का केंद्र तो है। किंतु निर्मल नहीं। मनुष्यों की बढ़ती लालसा ने कहीं न कहीं उसके अंदर छुपे मां गंगा और यमुना के लिए उसकी भावनाओं को खत्म कर दिया।

गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त के लिए हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला लिया। लेकिन अब प्रश्न यह था कि यह सब कैसे संभव किया जाये। इसके तहत 30 मार्च 2017 को हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण कानून पारित किया। इसके तरह हिमालय की पर्वत शाखाओं, हिमखंडों, जंगलों, हवा, पानी और झीलों की देखरेख कानूनी तौर पर की जायेगी। हाईकोर्ट द्वारा यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखा निर्णय है। हाईकोर्ट द्वारा यह निणर्यय लिया जाना वह भी तब जब यह बहुत ही जरूरी था और इसके तहत ही बाकी देशों के लिए भी यह उपयोगी होगा, को वह इसके लागू कर सके, जैसे कि प्रकृति के प्रति जागरूकता के कारण हमारी ऋतुओं और जस स्रोतों में असंतुलन पैदा हो गया है।

यह परिस्थिति जल्द ही इतनी भयावह हो गयी है कि पृथ्वी को जल स्रोतों ने अपना काम करना बंद कर दिया। जो हिमखंड हजारों महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत ही, पिछड़ने लगे हे। सौरमंडल इससे अत्यधिक प्रभाविक होकर पर्वतों पर रह रही प्रजातियों को समाप्त कर ने की कगार पर आ चुका है और कई प्रजातियों को नष्ट भी कर चुका हे। जैसे कि हम जानते ही है कि यह सौरमंडल और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय सौररमंडल जीवन चक्र को संतुलित तौर पर चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पूरे और संपूर्ण विश्व को जल प्रदान करता हे और जंतुओं को भी संतुलित करता है। हम युवाओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम यह पक्का कर सके कि ग्लोबल वाटर साइकल लगातार अपने कार्य इस सदी और आगे आने वाली अनेक सदियों के लिए पूर्ण कर सके।

इसलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित यह कानून बहुत ही उपयोगी है जिसका उपयोग आगे नदियों के संरक्षण के लिए किया जायेगा। अभी तक क्या बदलाव आगे किये जायेगे और क्या बदलावा किये जा चुके हे। इस कानून को उपयोग में लाने के लिए और जीवन बचाने की इस मुहिम में?

2012 रियो जेनेरियो में भारतीय सरकार ने अन्य देशों के साथ मिलकर एक दस्तावेज पारित किया, जिसे ''ऐसा भविष्य हमें चाहिए'' नाम दिया गया। इस दस्तावेज में दर्ज पैराग्राफ 122 के अनुसार ''हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि वातावरण हमारे जलाशयों को निर्मित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए हमें आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने होंगे जो हमारे वातावरण में सतुलन बनाये रखे।

इसी दस्तावेज के 210 और 211 पैराग्राफ के अनुसार सरकार पर्वतीय इलाकों के प्रति जागरूक होकर उचित कदम उठाने के लिए तैयार है।

210–हमें यह ज्ञात है कि पर्वतीय इलाकों से प्राप्त लाभ हमें संपोषित विकास के लिए आवश्यक है। पर्वतीय पारिस्थितिक तय संपूर्ण विश्व को जल प्रदान करने में बहुत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टूटने योग्य पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र विशेष रूप से ऋतुओं में उल्टा प्रभाव, पेड़ों के कटने, जंगलों के समाप्त होने, जमीनों में बंजर होने और प्राकृतिक विपत्ति और हिमखंडों के

दिन–प्रतिदिन पिघलने एवं पतले होने और वातावरण और मनुष्यों पर हो रहे दुष्प्रभावों के लिए जिम्मेदार है।

211–हमें आगे यह भी ज्ञात है कि पर्वत कई प्रजातियों का अथवा मनुष्यों का भी घर है जिन्होंने पर्वतीय स्रोत के उपयोग के लिए संपोषित विकास किया है। हालांकि कई बार यह प्रजातियां सीमाओं से बाहर चली जाती हैं और इसलिए हम इस बात से चिंतित है कि इन स्थानों से गरीबी, पोषण व भोजन की अव्यवस्था और इसके वातावरण में हो रहे घातक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए लगातार कोशिशों की आवश्यकता है।

कुछ वर्षो बाद सितंबर 2015 में भारत की भावी सरकार ने अन्य संपूर्ण देशों की सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में संपोषित विकास के लिए एक दस्तावेज पारित किया। "Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable Development" इसके साथ ही वह इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2030 तक प्राकृतिक स्रोत और गृह को सुरक्षित किया जाय। इस दस्तावेज को प्रयोग में लाने के लिए कुछ नियमों को लगू किया गमन है। इससे जुड़ा एक नया कानून उत्तराखंड में पारित किया गया है जो यह जात करने में मददगार होगा।

लक्ष्य 6.6 ''2020 तक जल स्रोों और उनसे जुड़े पारिस्थितिक तंत्रो को सुरक्षित किया जायेगा। जिसमें पवर्तत, जंगल, नदियां और झीलें भी शामिल है।

लक्ष्य 15.1 ''2020 तक जल स्रोतों और उससे जुड़े अन्य व्यवस्थाओं का संरक्षण, उनमें बदलाव कर दुबारा उपयोग में लाना और उनके संपोषित उपयोग सुनिश्चित किये गये हैं, जिनमें वनों, पर्वतो और बंजर पड़ी जमीनों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अंतर्गत विकास शामिल है।

लक्ष्य 15.4 ''2030 तक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र उनसे जुड़े विभिन्न जीवित प्रजातियों और जंगलों का संपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत इनकी क्षमता को बढ़ाकर संपोषित विकास के लिए उचित लाभ लिया जा सके।

हम, Active Remedy Ltd. इस मुददे को विचार योग्य मानते हैं और पृथ्वी पर जल चक्र और प्राकृतिक विपत्ति के बढ़ने पर एक रचनात्मक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जो संपोषित स्रोतों को

बचाने और उनके बार–बार प्रयोग में लाने के लिए संपूर्ण हिमालय पर्वत शाखाओं और विश्वभर में जारी किया जायेगा। यह कार्यक्रम, पहाड़ों से जुड़े उत्तराखंड के लोगों के लिए बनाया गया है और जो पवित्र उपवन और हरित गलियारा के नाम से जाना जायेगा। यह एक बहुत ही उपयोग कार्यक्रम है जो कि गंगा और यमुना की सुरक्षा को लेकर शुरू किया गया है।

सम्बन्धित हिमनदो के रूप में, क्योंकि यह मिश्रित पहाड़ जंगल की सुरक्षा और बहाली को बढ़ावा देता हे, जो स्वस्थ नदियों और ग्लेशियरों को हिमालय के माध्यम से बनाये रखता है और पर्वत जंगल और जल चक्रम के बीच के आंतरिक संपर्क के कारण होता है, इसका उद्‌देश्य क्षेत्रीय और वैश्वि ताजे पानी के लिए आसान है संकट और जलवायु अस्थिरता।

पवित्र उपवन और हरित गलियारे विधि का उद्धदेश्य सरल, अभी तक के मापदंडो का सम्मान और स्थानीय लोगों की आवश्यकता है। साथ ही साथ पर्वतारोहियों के कारणों की व्यापक विविध स्थितियों के लिए अनुकूल है। यह इस गड़बड़ी को सिक्रेडिट युब्स, हरित गलियारे। ग्रीन बेल्ट परमासीकर और साथी के रोपण के संवर्द्धन पद्धति का सम्मान कर रहा है। यह तकनीकों की एक सीमा के लिए दिशा निर्देशक का एक खेद है और अनुमोदन करता है कि यदि एक साथ उपयोग किया जाता है तो इस कारणों में पाया गया कठारे जलवायु स्थिति की परवाह किये बिना नदियों के पर्वतीय पारिस्थतिक तंत्रों और स्रोतों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिल सकती हे। इनका उपयोग वनों के क्षेत्र में एक नया संपर्क जोड़ने के लिए किया जा सकता है। जिससे हरित जैव विविधता के शुद्धिकरण को हल कर सकते हें।

संरक्षित समूह इस विधि एक और मौलिक हिस्सा है। पवित्र समूहों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए एक अनूठी शिक्षा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और जो कि हजारो ंवर्षो से जैव विविधता की रक्षा और संरक्षित करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी तरीका साबित हुइ है, ये सभी हिमालय में निरूपणशील सुरक्षा समूह है, लेकिन इनमें से कई बार अलग–अलग और पर्यावरण के उन्मूलन के कारण कमजारे हैं। इन्हें भी संरक्षित किया जा सकता है और आनुवांशिक कानूनों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है जो विघमान पवित्र उपवनों की रक्षा करता है।

हरित गलियारे के साथ इन सेक्रेडटेवट समूहों को जोड़ना विविधता, लकड़ी से भरा, आस–पास की भूमि में गांव वाले आश्रय प्रदान करें और जलवायु आच्छादन, सूखे भूस्खलन, बाढ़ और कीट के आंतक प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में मदद करें, वे विकसित हो सकते हैं और स्थानीयकृत प्रबंधन, उपयोगिक साथी पौधों और प्रचुर और प्रचुर तकनीकों ताकि बर्डबुड एक ग्रीन प्लांट कवर की सीएनस्टैंट को बनये रखेगा, साथ ही स्थानीय स्वामित्वों की निरंतर आपूर्ति जिसे स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग किया जा सकता हे। इनके बहुत ही प्रसंस्करण ग्रीन वाटर लेवल बढ़ायेगा और सकरात्मक रूप से स्प्रिंग्स, नदियों और कुओं को प्रभावित करेगा।

यह महत्वपूर्ण है कि उचित मानदंडों को पहचाने और पहाड़ समुदायों के सहयोग से इस परिमाण के किसी भी पर्यावरण पर्वत बहाली के प्रयास के प्रभाव के लिए आवश्यक है। वे न केवल जान लेते हैं। पहाड़ क्षेत्रों के भीतर एक्सकोसिस की बहाली के बारे में इन क्षेत्रों मे ंरहने के अधिकांश लोगों के विपरीत उनकी क्षमता भी होती है। कई पीढ़ी से उन्होंने मानसिक, भावानात्मक और शारीरिक रूप से पर्वतों के समुदायों को अतिवादी स्थिति में फैसले के साथ विकसित किया है। जो उन्हें प्रभावित करता है और स्वदेशी जान, विरासत और सभी विकासों में मूल्यों को एकीकृत करता है।

उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें पारिस्थितिक स्थिरता पर संपूर्ण माहौल का प्रभाव होता है जो संपूर्ण मूढ़ता के माध्यम से होता हे तीसरे ध्रुव के हिस्से के रूप में यह वैश्विक जलवायु और पानी के चक्रों पर एक बहुत अधिक प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। मां गंगा और मां यमुना सभी हिंदुओं के गहरे आध्यात्मिक महत्व की है और क्योंकि उत्तराखंड में उनके स्रोत है। यह एक आदर्श राज्य है। इन पवित्र नदियों की रक्षा करने के लिए एक संयोजक पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित करना है। जैसा कि 1998 में मान्यता प्राप्त थी ''पानी दोनों कारणों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (एन. आर.सी., 1998) के दिल मे है'' (यू.एस.जी.सी.आर.पी. 2001)।

सक्रिय उपाय लिमिटेड एक यूके आधारित है न कि लाभकारी कंपनी के लि तारा जांच और स्टेल जांच द्वारा 2005 में हम वैश्विक जल चक्र की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो वर्तमान में खतरे का कारण है, इसलिए एस.जी.जी.सी. विधि इससे निपटने के लिए संभावित समाधान है। वैश्विक जलचक्र के असंतुलन व प्रकृति की सुरक्षा के लिए समाधान है। क्योंकि ये

पर्यावरण के सुरक्षा पर आधारित है जो कि जल और पर्यावरण चक्र एक दूसरे के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर है।

सक्रिय उपाय लिमिटेड का एस.जी.जी.सी. विधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु अनुकूलन के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया। स्थानीय स्वदेशी व पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का उपयोग करे एक रिपोर्ट एस.जी.जी.सी. विधि के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्रदान करती है जिसे आप UNFCCC की लिंक पर जाके इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते है :

http://www.4.unfccc.int/sites/nwp/pages/item.aspx?ListitemId=25551&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB

सक्रिय उपाय लिमिटेड मां गंगा और मां यमुना को प्राप्त नई मान्यता और उनकी रक्षा के लिए मदद करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि एस.जी.जी.सी. विधि के कार्यान्वयन से ऐसा करने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह अपने वाटरशेड और जल स्रोत को फिर से भरने और सुरक्षित करने में मदद करता है आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं।

तारा जॉय और स्टेला जॉय तक इस ई–मेल द्वारा पंहुचा जा सकता है– enquiries@activeremedy.org

हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी बेबसाइटर पर जाएः www.activeremedy.org